भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 148

(जिसका उत्तर सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया गया)

स्वतंत्र निदेशक

148. श्री सुनील कुमार सिंहः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2018 से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कमी आई है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ख) क्या यह सच है कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कमी मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में नियुक्ति न होने के कारण हुई है और यदि हां, तो ऐसे पीएसयू का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। जब कभी स्वतंत्र निदेशकों के पद खाली होते हैं तो संबंधित कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। स्वतंत्र निदेशकों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
2018-2019	30,046
2019-2020	29,140
2020-2021	21,084

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक किसी कंपनी के बोर्ड में लगातार पांच वर्षों की अवधि तक पद धारण करेगा।

*****